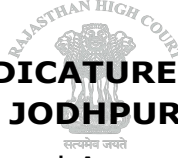




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**



S.B. Civil Second Appeal No. 72/2025

Municipal Council Nagaur, District Nagaur Rajasthan

----Appellant

Versus

1. Lrs Of Bhagwan Singh, Resdient Of Nehru Colony In North Of Badli Nagaur District Nagaur Rajasthan
2. Ganga Singh S/o Late Bhagwan Singh, Resdient Of Nehru Colony In North Of Badli Nagaur District Nagaur Rajasthan
3. Ram Singh S/o Late Bhagwan Singh, Resdient Of Nehru Colony In North Of Badli Nagaur District Nagaur Rajasthan

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Rajesh Parihar
For Respondent(s)	:	Mr. Vinit Sanadhya

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

14/07/2025

01. अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपीलीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 02, नागौर के निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 26.09.2024 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपीलीय न्यायालय द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, नागौर, राजस्थान के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.04.2013 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी नगरपालिका, नागौर के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है।

02. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रत्यर्थी-वादी की ओर से एक वादपत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादी का कब्जाशुदा बाड़ा व आवासीय मकान शहर नागौर के मौहल्ला बडली के ऊतर में नेहरू कॉलोनी के पास खसरा नंबर 451 में स्थित है, जिस पर वादी के पिता के समय से 60 सालों से कब्जा है, मवेशी बांधते हैं, चारा वगैरा डालते हैं और वादी ने उपखण्ड अधिकारी, नागौर के यहां नियमन हेतु कार्यवाही कर रखी है। वादी ने इसमें पक्के निर्माण कर कमरे भी बना लिए। उक्त भूमि को न तो नगरपालिका में निहित किया गया



है और ना ही आबादी में परिवर्तित किया है। नगरपालिका को खसरा नंबर 451/781 में भूमि आवंटित की गई थी, जबकि वादी की भूमि खसरा नंबर 451 में है। नगरपालिका को वादी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। इस आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर वादी का कब्जा नगरपालिका में निहित खसरा नंबर 451/781 में होना और वादी अतिक्रमी होना बताया गया व विभिन्न आधार वर्णित करते हुए वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया।

03. पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर 08 विवाद्यक कायम किये गये हैं। पक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.04.2013 के द्वारा वाद खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर प्रत्यर्थी-वादी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है और अपीलीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 02, नागौर द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.09.2024 में इस आधार पर कि वादी का कब्जा खसरा नंबर 451 में है और नगरपालिका की 75 बीघा भूमि खसरा नंबर 451/781 में है। नगरपालिका को इस मामले में कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है और वादी की भूमि नगरपालिका के खसरा नंबर 451/781 रकबा 75 बीघा का भाग नहीं है। इस आधार पर विवाद्यक निस्तारित कर वाद डिक्री किया जाकर जरिये स्थाई निषेधाज्ञा नगरपालिका मण्डल, नागौर को पाबंद किया गया कि वादपत्र के मद संख्या 01 में वर्णित भूमि पर वादी की इमारत, सामान इत्यादि को नहीं हटावे व वादी के उपयोग-उपभोग में कोई बाधा हस्तक्षेप न करें न करावे, जिससे व्यथित होकर यह अपील नगरपालिका की ओर से प्रस्तुत की गई है।

04. अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में यह निवेदन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 01 व 03 को साबित करने का भार प्रतिवादी-अपीलार्थी पर हस्तांतरित कर दिया गया, जबकि पीडब्ल्यू 01 भगवान सिंह द्वारा अपनी जिरह में स्वीकार किया कि उसके पास ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है, जिसे वह 60 साल पुराना काबिज होना प्रतीत होता हो। अपील में विभिन्न आधार वर्णित करते हुए 05 Substantial question of law प्रस्तावित किये गये और अपील स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.09.2024 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

05. बहस एडमिशन सुनी गई। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों पर विचार किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को तर्कों के रूप में प्रस्तुत किया। विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी-वादी की ओर से अपीलीय न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया कि प्रतिवादी के गवाह द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि वादी का कब्जा खसरा नंबर 451 पर है



और नगरपरिषद, नागौर को आवंटित 75 बीघा भूमि खसरा नंबर 451/781 है। ऐसी अवस्था में नगरपालिका का विवादग्रस्त संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होना बताते हुए कोई Substantial question of law बनना नहीं पाया जाना बताया गया है।

06. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया व पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। इस मामले में विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांकित 26.09.2024 के पेज संख्या 08 के प्रथम पैरा व द्वितीय पैरा निम्नानुसार हैं:-

“प्रतिवादी गवाह डी ड 1 पोकरराम नगरपरिषद, नागौर आयुक्त ने साक्ष्य दी है कि विवादित मकान बड़ली मौहल्ला, नागौर में खसरा नंबर 451 में आया हुआ है। यह सही है कि खसरा नंबर 451/781 की 75 बीघा भूमि नगरपालिका को आवंटित की गयी थी। यह उसे पता नहीं कि उक्त खसरा नंबर 451 की शेष 436 बीघा के लगभग भूमि मौके पर हो। नगरपालिका को आवंटित की गयी खसरा नंबर 451/781 की 75 बीघा किस पुख्ता पोइंट से शुरू होकर कहाँ तक सीमित है, वह नहीं बता सकता। विवादित भूमि पर वादी के पिता के समय से ही दावा करने से पहले 60 वर्षों से ही कब्जा हो, यह कहना गलत है। उक्त भूमि पर बाड़ा बना हुआ हो, पानी की कुंडी, मकान, छपरे, मवेशी बांधने के टाण बने हुए हो तो उसे पता नहीं। यह सही है कि मौके पर खसरा नंबर 451 व खसरा नंबर 451/781 दोनों अलग-अलग भूमि है।

इस प्रकार प्रतिवादी गवाह डी ड 1 पोकरराम विवादित मकान को खसरा नंबर 451 में बना होना कथन करता है। दूसरी तरफ विरोधाभासी कथन करते हुए उक्त मकान खसरा नंबर 451/781 में बना होने का कथन करता है। गवाह पी ड 4 लालसिंह पटवारी ने तहसीलदार, नागौर के आदेशानुसार दिनांक 28.12.92 को खसरा नंबर 451 की मौका रिपोर्ट बनाने की साक्ष्य दी है, जिसमें वादी भगवानसिंह की कब्जासुदा भूमि राजस्व क्षेत्र की भूमि होना कथन किया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्य को ध्यान में नहीं रखा है। वादी की ओर से प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श 7 फर्द मौका रिपोर्ट में अंकित है कि मुताबिक आदेश तहसीलदार के खसरा नंबर 451 में बने प्रार्थी भगवानसिंह पुत्र सुरजनसिंह राजपूत के मकान का मौका देखा गया। उक्त खसरा के उत्तर में ग्राम नकाश की सरहद लगती है। सर्वे अनुसार प्रार्थी का मकान नगरपालिका, नागौर को दी गयी भूमि खसरा नंबर 451/781 रकबा 75 बीघा से काफी बाहर उत्तर-पूर्व में खसरा नंबर 451 की अंगोर में स्थित है, जिससे स्पष्ट है कि वादगत भूमि खसरा नंबर 451 का भाग रही है और खसरा नंबर 451 नगरपालिका मण्डल, नागौर की भूमि नहीं रही है। नगरपालिका मण्डल, नागौर को खसरा नंबर 451/781 रकबा 75 बीघा आवंटित की गयी थी, जिसके संबंध में कार्यवाही करने की अधिकारिता थी। विचारण न्यायालय ने उक्त दस्तावेजात व साक्ष्य को ध्यान में रखे बिना वादगत भूमि का पट्टा वादी के पास नहीं होने के आधार पर इस विवाद्यक का विनिश्चय किया है।”

07. दौराने बहस अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा निर्णय में वर्णित कथन डीडब्ल्यू 01 पोकर राम, नगरपरिषद, नागौर के आयुक्त द्वारा किये जाने स्वीकार किया गया है



और पीडब्ल्यू 04 लालसिंह, पटवारी के बयान व प्रदर्श 7 के संबंध में जो उल्लेख अपीलीय न्यायालय द्वारा किया गया, उस पर विरोध नहीं किया गया।

08. इस मामले में अपील निर्णय में वर्णितानुसार वादी का कब्जा खसरा नंबर 451 में होना डीडब्ल्यू 01 पोकर राम की जिरह से स्पष्ट है और नगरपरिषद, नागौर को खसरा नंबर 451/781 में 75 बीघा भूमि आवंटित होना भी स्वीकृत स्थिति है और दोनों भूमि अलग-अलग होना भी डीडब्ल्यू 01 की साक्ष्य से एडमिटेड है। जब खसरा नंबर 451 पर वादी का कब्जा है और नगरपरिषद का कोई अधिकार खसरा नंबर 451 के संबंध में नहीं है, उस अवस्था में वादी का इस भूमि पर कब्जा होना और इस भूमि के संबंध में नियमन की कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी के समक्ष वादी द्वारा प्रस्तुत की हुई होना पाया गया है। उस अवस्था में नगरपरिषद द्वारा बिना अधिकार के बेदखल की कार्यवाही रोकने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा विधिनुसार जारी की जा सकती है। इस मामले में अपीलीय न्यायालय के निर्णय में जो उल्लेख पेज संख्या 08 में किया गया, उससे ही स्पष्ट है कि नगरपरिषद का कोई अधिकार खसरा नंबर 451 जिसमें कि वादी का कब्जा है, हासिल नहीं है। ऐसी अवस्था में प्रस्तावित या कोई Substantial question of law इस मामले में बनना नहीं पाया जाता है। ऐसी अवस्था में अपील अपीलार्थी एडमिशन की स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है।

09. अतः अपील अपीलार्थी अंतर्गत धारा 100 सीपीसी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति विद्वान अपीलीय न्यायालय व विचारण न्यायालय को भेजी जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J